

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में
दिनांक 17.10.2025 को
अपरान्ह 03:00 बजे नारकोटिक्स
(NCORD) से संबंधित बैठक

चर्चा के मुख्य बिन्दु

क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, क्षेत्राधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जनपद सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर मुखबिरी तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रवर्तन मूलक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में –

व्यापार कर सम्भल, केन्द्रीय माल और सेवाकर, सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग सम्भल रोड चैकिंग के दौरान विशेषकर राज्यीय/अन्तर्राज्यीय गांजे/मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद में दाखिल होने वाले मुख्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनो की सघन जाँच किये जाने के सम्बन्ध में –

चिकित्सा विभाग एवं औषधि प्रशासन– कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या– ड्रग /8322/ लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। समस्त दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाई न दिये जाने एवं प्रिस्क्रिप्शन पर भी एक सप्ताह से अधिक की दवाई न दिये जाने एवं ग्राहक की प्रिस्क्रिप्शन व आई0डी0 लेकर मनःप्रभावी औषधि की बिक्री करने हेतु निर्देशित किया जाये। थोक एवं फुटकर विक्रयकर्ता मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस, आबकारी एवं औषधि प्रशासन विभाग सतत निगरानी रखने तथा मनःप्रभावी औषधि यथा कोडीन (**Codeine**), ऐल्प्रक्स (**alprax**) आदि की चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में –

वन विभाग एवं कृषि विभाग नारकोटिक्स पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में –

जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत जनपद में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में प्रत्येक विद्यालय में एक “युद्ध नशे के विरुद्ध” विषय पर निबन्ध, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक शनिवार को तथा प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिज्ञा दिलाते हुए उक्त के सेवन से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

समाज कल्याण– प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा **COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act.)** अधिनियम लागू कराया गया है एवं सहायता हेतु टोल फ्री नं. जारी किया गया है तथा “प्रहरी” नाम से वालंटियर ग्रुप बनाया गया है। शासनादेश में राज्य विश्वविद्यालय /डिग्री कालेज के 100 मीटर की सीमा में कोई तम्बाकू की दुकान न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने एवं शिक्षक वर्ग को भी सभी प्रकार के नशे की मूलभूत जानकारी देकर प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल–किसी भी स्कूल/कालेज के पास 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू को प्रतिबन्धित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबन्धित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु सघन जांच, निरीक्षण एवं आकस्मिक चैकिंग करायी जाये।

बिन्दु संख्या-1

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विकसित मानस पोर्टल एवं समग्र भारत में ड्रग्स की शिकायतों हेतु जारी हेल्प लाईन नं०. 1933 का निम्नानुसार प्रचार-प्रसार समस्त ग्राम पंचायतों, ब्लाक, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्ण रूप से कराया जाये।

“एक युद्ध नशे के विरुद्ध”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, मारफीन एवं अन्य नशीली दवाइयों की बिक्री किया जाना पाया जाता है तो उसकी सूचना नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

टोल फ्री नम्बर

1933

(कार्यवाही समस्त कार्यालयाध्यक्ष/ग्राम पंचायत/नगरपालिका/
नगर पंचायत/मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद सम्मल।)

बिन्दु संख्या-1 की अनुपालन आख्या

आबकारी विभाग सम्मल द्वारा कलेक्ट्रेट बहजोई, चन्दौसी मेला, रामबाग रामलीमा चन्दौसी व रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट टैक्नोलोजी चन्दौसी में “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 1933 का प्रचार प्रसार किया गया है।

बिन्दु संख्या-2

व्यापार कर एवं आबकारी विभाग संयुक्त रूप से जनपद सम्भल के राजमार्गों व अन्य जनपद से आने वाले मार्गों पर रोड चौकींग के समय अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के दृष्टिगत संदिग्ध वाहनो की सघनता से जाँच किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। मुखबिर तंत्र विकसित कर मादक पदार्थों की तस्करी पर कठोर कार्यवाही की जाये। आगामी बैठक में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही व्यापार कर/केन्द्रीय माल और सेवाकर/आबकारी/पुलिस विभाग जनपद सम्भल)

क.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.-2

राज्य व्यापार कर विभाग

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर, सचल दल चतुर्थ इकाई मुदादाबाद द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दिनांक 16.10.2025 में अवगत कराया कि इस इकाई द्वारा माह सितम्बर 2025 में कुल 1146 वाहनों की जाँच की गयी तथा 19 वाहन दोषी पाये गये, जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए अभिग्रहित मूल्य रू0 38.94 लाख के सापेक्ष रू0 24.48 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया। माह सितम्बर 2025 में 458 संवेदनशील वस्तुओं के वाहनों की जाँच की गई, जिनमें से 13 वाहन नियम विरुद्ध परिवहन करते पाए गए, जिनसे अभिग्रहीत माल मूल्य 33.62 लाख रू० के सापेक्ष 17.91 लाख रू० कर/अर्थदण्ड जमा कराया गया। माह सितम्बर 2025 में 1524 ई-वे बिल स्कैन किये गये तथा 249 बिलो को अपलोड किया गया। माह सितम्बर 2025 में 25 परचून के वाहनों की चौकिंग की गई। माह सितम्बर 2025 में आयरन स्टील के 55 वाहनों की जाँच की गयी, जिनमें से 01 दोषी वाहन पाये गये, जिनपर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल के मूल्य रू0 0.97 के सापेक्ष रू0 1.14 लाख अर्थदण्ड धनराशि जमा करायी गयी। माह सितम्बर 2025 में वुड एण्ड टिम्बर के 11 वाहनो की चेकिंग की गयी, जिनमें से 04 दोषी वाहन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल का मूल्य रू0 8.01 के सापेक्ष रू० 7.19 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया । माह सितम्बर 2025 में पान मसाला का कोई वाहन दोषी नहीं पाया गया। अन्य संवेदनशील वस्तुओं के 346 वाहनों की चौकिंग की गयी, जिनमें से 08 दोषी वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल का मूल्य रू0 24.29 लाख के सापेक्ष 9.57 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया । उक्त वाहनो में से कोई भी वाहन मादक पदार्थ से सम्बन्धित नही था और न ही कोई जाँच के समय पाया गया भविष्य में यदि कोई मादक पादर्थ से सम्बन्धित वाहन जाँच के समय पाया जाता है, तो तत्काल सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित कर दी जायेगी ।


क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	1146	0

बिन्दु संख्या-2 की अनुपालन आख्या आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद सम्भल के राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों की चैकिंग गयी। अवैध मदिरा की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही एवं रोड चैकिंग की गयी, जिसमें अवैध मदिरा मादक पदार्थों की बिक्री नहीं पायी गयी। माह सितम्बर 2025 में उक्त कार्यवाही के दौरान 460 स्थानों पर छापे मारे गये तथा 58 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसमें 1303.00 ब.ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा स्वयं एवं व्यापार कर विभाग के साथ गवाँ-अनूपशहर मार्ग, चन्दौसी बहजोई मार्ग, सिरसी-सम्भल मार्ग, चन्दौसी बदायूँ मार्ग, बहजोई सम्भल मार्ग पर लगभग 52 वाहनों की रोड चैकिंग की गयी। उक्त कार्यवाही में भी कोई अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकड़े गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	52	0

Excise Department



बिन्दु सं०-३

जनपद सम्भल में अवैध रूप से दवाई देने फर्जी डॉक्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। डाक्टर द्वारा मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन में दिये जाने वाले मनःप्रभावी औषधि अधिकतम एक सप्ताह की लिखी जाये तथा मेडिकल स्टोर्स द्वारा ग्राहक से प्रिस्क्रिप्शन व आई.डी. लेकर ही मनःप्रभावी औषधि की बिक्री की जाये तथा निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी / औषधि निरीक्षक)

क्र.सं.	अस्पताल / अन्य डॉक्टर का नाम	जाँच किये गये मेडिकल स्टोर्स का नाम

अनुपालन आख्या बिन्दु सं०-4

औषधि विभाग

औषधि निरीक्षक जनपद सम्भल ने अपने पत्र दिनांक 17.10.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीजा को विक्रय की जा रही है। विभागीय व्हाट्सग्रुप के माध्यम से मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्तालाप कर तथा औषधि विक्रेताओं के साथ सभा करके शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्रक्रिया जारी है। शहरी क्षेत्र के अधिकांश मेडिकल स्टोर्स पर कैमरे लगवा दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कैमरे लगवाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त **“एक युद्ध नशे के विरुद्ध”** एवं **‘केवल प्रिस्क्रिप्शन पर दवाईयाँ’** के बैनर प्रतिष्ठानों पर लगाकर नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम की जा रही है।

सम्भल जनपद में निरन्तर सघन निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित कर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष जांच अभियान चलाकर विभिन्न मेडिकल मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे की जांच की गयी। सीसीटीवी कैमरे न होने की दशा में फर्म स्वामी को अतिशीघ्र कैमरे लगवाकर सूचना दुकान के छायाचित्र सहित कार्यालय में देने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद सम्भल में माह जुलाई 2024 से सितम्बर 2025 तक कुल 1576 मेडिकल स्टोर्स पर 3156 सीसीटीवी कैमरे लगवाये जा चुके हैं।

“एक युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान के प्रति जागरूकता के अन्तर्गत जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संदेश के बैनर/पोस्टर मेडिकल स्टोर्स पर लगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। इसी अभियान के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनमानस को इस अभियान के प्रति जागरूक करते हुये अभियान के प्रति जागरूक करते हुये अभियान में सहयोग करने की अपील की गयी।

क.सं.	मडिकल स्टोर्स का नाम/संख्या	पता
1	10	

बिन्दु संख्या-4

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर एवं उक्त विभाग की वेबसाइट से नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए योजनाओं की जानकारी लेकर उनको लागू कराया जाये एवं नशा मुक्ति केन्द्रों के संचालन कराया जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी / उप मुख्य चिकित्साधिकारी)

अनुपालन

नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना की सूचना **AIIMS** को प्रेषित किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु संख्या-5

जनपद में 155 दवाइयों के दुकानदारों के साथ बैठक की जाये एवं कैमरे संचालित हैं अथवा नहीं की सूचना प्रस्तुत करें एवं अवैध संचालित दवा दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। दवाइयों की दुकानों पर लगाये गये C.C.T.V. कैमरों को स्थानीय पुलिस चौकी से जोडा जाये।

(कार्यवाही औषधि निरीक्षक / पुलिस विभाग जनपद सम्भल)

अनुपालन आख्या- बिन्दु संख्या-4

औषधि निरीक्षक, सम्भल अपने पत्रांक दिनांक 17.10.2025 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि दवाइयों के दुकानदारों के साथ बैठक की गयी।

बिन्दु सं०-६

सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाएँ यथा गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” का प्रचार-प्रसार किया जाय। समस्त आबकारी निरीक्षक जनपद सम्भल एवं गायत्री परिवार व ब्रह्मकुमारी प्रजापिता सामाजिक संस्था प्राइवेट स्कूलों/कालेज एवं मेडिकल कालेज /अन्य महाविद्यालयों में नशा मुक्ति का प्रचार-प्रसार एवं शपथ समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को नशा के विरुद्ध जागरूक करेंगे। यथासम्भव कैंसर पीडित व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर उनको अपने प्रोग्रामों में सम्मिलित करे।

(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग
बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल/आबकारी विभाग/गायत्री परिवार/ब्रह्मकुमारी संस्था)

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल/स्कूल /कालेज	आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण

बिन्दु संख्या-6 अनुपालन आख्या

समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी सम्मल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजों में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने वाले व्यक्तियों /विद्यार्थियों की संख्या	कार्यक्रम का विवरण
1	समस्त परिषदीय विद्यालय जनपद सम्मल	125313	बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्मल द्वारा अपने अधीनस्थों के सहयोग से समस्त परिषदीय विद्यालय जनपद सम्मल प्रातः प्रार्थना सभा में शपथ ग्रहण समारोह, भाषण एवं प्रभात फेरी का आयोजन
2	196	148549	जिला विद्यालय निरीक्षक सम्मल द्वारा अपने अधीनस्थों के सहयोग से 190 विद्यालयों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराये गये।
3	रामबाग रामलीमा चन्दौसी व रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट टैक्नोलोजी चन्दौसी	640	जिला आबकारी अधिकारी सम्मल एवं आबकारी निरीक्षको व अधिनस्थ स्टाप द्वारा आबकारी विभाग सम्मल द्वारा कलेक्ट्रेट बहजोई, चन्दौसी मेला, रामबाग रामलीमा चन्दौसी व रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट टैक्नोलोजी चन्दौसी में "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 1933 का प्रचार प्रसार किया गया है।

बिन्दु संख्या-6 की अनुपालन आख्या

जिला आबकारी अधिकारी, सम्भल एवं आबकारी निरीक्षको द्वारा दिनांक 28.09.2025 को चन्दौसी मेला, रामबाग रामलीमा चन्दौसी व रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट टैक्नोलोजी चन्दौसी म जनपद सम्भल में नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार किया गया तथा स्कूल में लगभग 120 विद्यार्थियो एवं अध्यापको नशा मुक्ति की शपथ दिलवायी गयी। अन्य लोगो को 400 लोगो को जागरूक किया गया।







आजादी
अमृत नरोत्सव

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी
के खिलाफ अभियान

नशे से आजादी

“जीवन को ही कहें, इस को ना”

इस का उपयोग और अवैध व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।
स्वापक निरंतरण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

(जिला आत्महत्या रोकथाम समिति)
सम्बल

(पुलिस अधीनस्थ)
सम्बल

(जिला अधिकारी)
सम्बल



GPS Map Camera



Google

Chandausi, Uttar Pradesh, India



Cqph+r3f, Chandausi, Uttar Pradesh 244412, India

Lat 28.436677° Long 78.777748°

29/09/2025 10:19 PM GMT +05:30

बिन्दु संख्या-7

COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act.) अधिनियम के तहत शत प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाये गये प्रत्येक “बाल संसद” एवं “प्रहरी क्लब” द्वारा अपने स्कूल/कालेज में “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” आयोजित कार्यक्रमों में किये गये कार्यों का विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाय। माह में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप में उपलब्ध कराये—

(कार्यवाही सामाजिक संस्था गायत्री परिवार एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल)

बिन्दु संख्या-7 की अनुपालन आख्या

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क्र.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
	बाल संसद			
	प्रहरी क्लब	252 विद्यालयों में।	18	2661
	योग	—	18	2661



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अपील नशे से आजादी

जीवन को हाँ कहें,
ड्रग्स को ना

ड्रग्स का उपयोग और अवैध व्यापार
प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

(जिला आबकारी अधिकारी) (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) (जिलाधिकारी)
सम्भल सम्भल सम्भल



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान नशे से आजादी

“जीवन को हाँ कहें, ड्रग्स को ना”

ड्रग्स का उपयोग और अवैध व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

जिला आबकारी अधिकारी
सम्भल

पुलिस अधीक्षक
सम्भल

जिलाधिकारी
सम्भल



जिन्दगी चुनें नशा नहीं

नशा समस्याओं का निदान नहीं अपितु समस्याओं की जड़ है।

अतः आज ही नशा छोड़ने का संकल्प लें।

नशा नहीं खुशी अपनाइये

जिला मद्यनिषेध अधिकारी
सम्भल

जिला आबकारी अधिकारी
सम्भल

जिलाधिकारी
सम्भल

बिन्दु सं.-8

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाये। देश में ड्रग्स को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर से आपरेशन कवच एवं राज्य सरकार के स्तर से आपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसे भी डी.पी.एम.यू. की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाये।
(कार्यवाही औषधि निरीक्षक / प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल / जिला आबकारी अधिकारी सम्भल)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.-8

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है। देश में ड्रग्स को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर से आपरेशन कवच एवं राज्य सरकार के स्तर से आपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसे भी डी.पी.एम.यू. की वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है।

“एक युद्ध नशे के विरुद्ध”
“नशा मुक्त भारत अभियान”
“नशे को ना जीवन को हॉँ”

NCORD